

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रणजीतसिंह राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 262/2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-09-2022	<p>अपीलार्थी रणजीतसिंह राठौड़, पता 199, हनवंत ए, बी.जे.एस. कॉलानी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 30.06.2022 में (1)....., के लिए श्री रामचन्द्र खटीक, लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1444 दिनांक 01.09.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी रणजीतसिंह राठौड़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2022 इस कार्यालय में आरटीआई पोर्टल पर आना नहीं पाया गया है जिसके अभाव में प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया, द्वितीयत् अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना की विशिष्टिया भी अपील में स्पष्ट नहीं की है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	